प्रेस नोट दिनांक 02.03.2026

थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

🔰 थाना मुगलसराय द्वारा हत्या का प्रयास करने वाली घटना का 24 घंटे के अंदर किया गया सफल अनावरण।

🔰 हत्या का प्रयास करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

🔰 हत्या के प्रयास में प्रयोग किये गये असलहे व बुलेट मोटरसाइकिल को किया गया बरामद।

चन्दौली- अपर पुलिस महामहानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी श्री पीयूष मोर्डिया व पुलिस उपमहानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र वाराणसी श्री वैभव कृष्ण द्वारा अपराध व अपराध में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में पुलिस अधीक्षक चन्दौली, आदित्य लांग्हे के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनन्त चन्द्रशेखर (आई.पी.एस.) व क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर अरूण कुमार सिंह के कुशल पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक मुगलसराय संतोष कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0स0-96/2026 धारा- 109(1) भारतीय न्याय संहिता 2023 व बढ़ोत्तरी धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली में वांछित अभियुक्त सूर्य प्रकाश सिंह उर्फ चुन्नू सिंह पुत्र स्व0 सुरेन्द्र सिंह निवासी सहजौर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली उम्र करीब 44 वर्ष आज दिनांक 02.03.26 को समय करीब 04.21 बजे सहजौर ग्राम से पहले भीखपुर रौना रोड अण्डर पास के पास से गिरफ्तार कर लिया गया गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 असलहा व बुलेट मोटरसाइकिल बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पुलिस द्वारा अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 28.02.26 को राम प्रसाद यादव पुत्र स्व0 हीरालाल यादव पता मवई कला थाना मुगलसराय जिला चन्दौली द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया कि दिनांक 28.02.2026 को रात्रि में सूर्य प्रकाश सिंह उर्फ चुन्नु सिंह पुत्र स्व0 सुरेन्द्र सिंह व उसके साथ उनके भाई नि0गण सहजौर थाना मुगलसराय द्वारा वादी राम प्रसाद के पुत्र सोनू यादव व उसके भान्जे राकुमार यादव उर्फ गोलू एवं उनके तीन अन्य साथी जिनका नाम कृष्णा यादव ,अक्षय यादव ,प्रमोद कुमार यादव को गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया गया था सभी घायल व्यक्तियों को B.H.U ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है जहा उनका उपचार चल रहा है। वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक 01.03.26 को मु0अ0स0-96/2026 धारा- 109(1) भारतीय न्याय संहिता 2023 पंजीकृत हुआ।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं दिनांक 28.02.2026 रात्रि अपने ट्यूबेल से अपने घर जा रहा था रास्ते में मन्नू पटेल की चाय-पान की दुकान के पास अपनी गाड़ी खड़ी करके पान खाने जा रहा था कि दुकान पर पहले से ही मौजूद दो व्यक्ति बैठकर शराब पी रहे थे तभी अचानक 03 मोटरसाइकिल से 06 व्यक्ति तेज रफ्तार में आये तब मैने उन्हें टोका कि आप इतनी तेज रफ्तार में आ रहे हो तो मुझे मारने का इरादा है

क्या। इतनी बात पर वहाँ मौजूद 08 व्यक्ति मिलकर मुझे मारने पीटने लगे। उसके बाद मैं आवेश में आकर ट्यूबेल पर जाकर ट्यूबेल में रखा असलहा लाकर उनके ऊपर कई राउण्ड फायर कर दिया जिसमें वह लोग घायल हो गये और मैं वहां से भागकर बिहार चला गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.सूर्य प्रकाश सिंह उर्फ चुन्नु सिंह पुत्र स्व0 सुरेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम सहजौर, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली उम्र करीब 44 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0स0-34/2024 धारा-4/25 आर्म्स एक्ट थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

2.मु0अ0स0-96/2026 धारा- 109(1) भारतीय न्याय संहिता 2023 व बढ़ोत्तरी धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

बरामदगी विवरण-

एक अवैध पिस्टल 32 बोर।

बुलेट मोटरसाइकिल UP67Q7557

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक सन्तोष कुमार सिंह थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

2.अपराध निरीक्षक चन्द्रकेश शर्मा थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

3.उ0नि0 श्री मुंशी यादव थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

4.हे0का0 संतोष साह थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

5.का0 मनीष कुमार यादव थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

▶️ थाना मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा 01 पीली धातु के आभूषण, 17 मोबाइल फोन, 23000 रुपया, दो मोटरसाइकिल की बरामदगी करते हुए तीन अभियुक्त गिरफ्तार व 02 बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली, आदित्य लांग्हे द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनन्त चन्द्रशेखर (आई.पी.एस.) एवं क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर अरूण कुमार सिंह के कुशल पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक मुगलसराय सन्तोष कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में मुगलसराय पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 22.02.2026 को ग्राम हमीदपुर में एक महिला के साथ हुई मोबाइल झपटमारी के घटना में शामिल अभियुक्त अपने अन्य साथियों के साथ किसी अन्य घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से इंडस्ट्रियल एरिया में पराग डेयरी की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ गए है।

⬛ प्राप्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पुलिस को वीडीए कॉलोनी की तरफ से दो मोटरसाइकिल पर सवार कई लोग आते दिखे जिन्हे रोशनी देकर रुकने का इशारा किया गया तो अपनी अपनी बाइक मोड़कर पुनः वीडीए कालोनी की तरफ भागने का प्रयास किए कि घबड़ाकर एक बाइक पर सवार गिर गए जिन्हें घेरकर मौके पर ही पकड़ लिया।

⬛ गिरफ्तार व पुलिस अभिरक्षा में लिये गये पाचों अभियुक्तो से क्रमश: पूछताछ कर जमा तलाशी ली गयी तो ज्ञात हुआ कि-

1-लक्ष्मण पुत्र स्व0 मूलचंद उम्र 24 वर्ष निवासी जाल्होपुर रमना थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी बताया जिसके जमा तलाशी में कुल 04 एंड्रॉयड फोन, एक कीपैड फोन लावा HERO, 01 हजार रुपए नकद तथा 1 मंगलसूत्र पीली धातु तथा 20 हजार रुपए नकद बरामद हुआ।

2-विशाल उर्फ कतवारू उम्र 22 वर्ष निवासी जाल्होपुर रमना थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी बताया जिसके जमा तलाशी से 02 एंड्रॉयड फोन, 1 कीपैड मोबाइल व 1000 रुपए नकद बरामद हुआ।

3- अजय पुत्र सुरेंद्र उम्र 24 वर्ष जाल्होपुर रमना थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी बताया जिसकी जमा तलाशी से 02 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 01 कीपैड मोबाइल फोन नोकिया व 1 हजार रुपए नकद बरामद हुआ।

4-बाल अपचारी जिसके जमा तलाशी से 02 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 01 कीपैड मोबाइल फोन बरामद हुआ

5-बाल अपचारी जमा तलाशी से 02 एंड्रॉयड मोबाइल फोन तथा 01 कीपैड मोबाइल बरामद हुआ।

अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि चोरी/झपटमारी के कुछ मोबाइल फोन, जेवरात तथा नकदी रुपए है।

⬛ जाचोंपरान्त ज्ञात हुआ कि-

1-पीली धातु का मंगलसूत्र वजन करीब 44 ग्राम (मोती सहित), एक वन प्लस एंड्रॉयड फोन ,20 हजार रुपए नकद संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 65/26 धारा 305(a),317(2)BNS।

2-1 एंड्रॉयड मोबाइल मोटोरोला फोन संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 93/26 अन्तर्गत धारा 304(2),317(2) BNS ।

3- 3000 रुपए नकदी संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 86/26 धारा 304(2),317(2) BNS ।

अन्य 15 अदद मोबाइल फोन (10 एंड्रॉयड फोन,05 कीपैड फोन) व घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिल (एच.एप डिलक्स व टीवीएस स्पोर्ट) है को कब्जा पुलिस में लिया गया व उपरोक्त व्यक्ति को उसके अपराध बताकर समय करीब 00.58 बजे रात्रि हिरासत पुलिस में लेकर विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

■ गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम, पता व अपराधिक इतिहास-

1-लक्ष्मण पुत्र स्व0 मूलचंद उम्र 24 वर्ष निवासी जाल्होपुर रमना थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी

अपराधिक विवरण –

1.मु0अ0सं0-105/23 धारा-147/148/307/323/332/336/341/342/353/392/427/504/506 भादवि थाना बक्सा जनपद जौनपुर।

2.मु0अ0सं065/26 धारा 305(a),317(2)BNS थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

3.मु0अ0सं0 93/26 अन्तर्गत धारा 304(2),317(2) बीएनएस थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

4.मु0अ0सं0 86/26 धारा 304(2),317(2) BNS थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

2.विशाल उर्फ कतवारू उम्र 22 वर्ष निवासी जाल्होपुर रमना थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी

मु0अ0सं0 86/26 धारा 304(2),317(2) BNS थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

3.अजय पुत्र सुरेंद्र उम्र 24 वर्ष जाल्होपुर रमना थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी

मु0अ0सं0 86/26 धारा 304(2),317(2) BNS थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

4.बाल अपचारी-

अपराधिक विवरण–

1.मु0अ0सं0-65/26 धारा 305(a),317(2)BNS थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

2.मु0अ0सं0-93/26 अन्तर्गत धारा 304(2),317(2) बीएनएस थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

5.बाल अपचारी-

मु0अ0सं0 93/26 अन्तर्गत धारा 304(2),317(2) बीएनएस थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

पूछताछ विवरण –

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताये कि लक्ष्मण व बाल अपचारी उपरोक्त ने 1- दिनांक 10.02.2026 को कृष्णा पैलेस मैरिज हाल नई बस्ती मुगलसराय में शादी समारोह दोनों ने मिलकर एक महिला का लाल रंग का बैग

चोरी किए थे जिसमें 20 हजार रुपए नकद, 1 टच मोबाइल व 1 मंगलसूत्र था जिसका बंटवारा अभी हम लोगों ने नहीं किया है।

2- लक्ष्मण व दोनों बाल अपचारी ने मिलकर दिनांक 22.02.2026 को हमीदपुर में रास्ते में मोबाइल से बात करते जाते हुए एक महिला से हम तीनों ने मिलकर एक मोटोरोला एंड्रॉयड मोबाइल फोन की झपट मारी की थी।

3-बरामद पैसे के बारे में पूछने पर लक्ष्मण, विशाल उर्फ कतवारू, अजय उपरोक्त ने बताया कि घटना दिनांक 24.02.2026 को रात्रि में करीब 10 बजे जीटी रोड पर्वत में हम तीनों ने मिलकर एक व्यक्ति का ओप्पो कंपनी का एंड्रॉयड मोबाइल फोन झपटकर मुगलसराय रेलवे स्टेशन के तरफ भाग गए थे उक्त मोबाइल को हम लोगों ने 5000 रुपए में बेचा था जिसमें 2000 रुपए हमलोगों ने पार्टी में खर्च कर दिए है शेष जो 3000 रुपए है को हम तीनों ने एक एक हजार रुपए बाँट लिए।

थाना स्थानीय पुलिस द्वारा बरामद अन्य मोबाइल फोन व मोटरसाइकिल के विषय में जानकारी की जा रही है।

<u>विवरण बरामदगी</u> –

1. 01 गुलाबी रंग के हैंडबैग में रखी पीली धातु का मंगलसूत्र वजन करीब 44 ग्राम (मोती सहित),
2. एक वन प्लस एंड्रॉयड फोन ,
3. 01 एंड्रॉयड मोबाइल मोटोरोला फोन ,
4. 10 एंड्रॉयड फोन,
5. 05 कीपैड फोन ,
6. 23 हजार रुपए नकद ,
7. 02 मोटरसाइकिल (एच.एफ डिलक्स व टीवीएस स्पोर्ट)।

<u>गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक सन्तोष कुमार सिंह थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।
2. उ0नि0 सुरज रावत चौकी प्रभारी औद्योगिक नगर थाना कोतवाली मुगलसराय चन्दौली।
3. उपनिरीक्षक धर्मदेव सिंह चौकी प्रभारी दुल्हीपुर कोतवाली मुगलसराय चन्दौली
4. उ0नि0 सीताराम यादव कोतवाली मुगलसराय चन्दौली।
5. उ0नि0 वीरेन्द्र सिंह कोतवाली मुगलसराय चन्दौली।
6. हे0का0 सुभाष सिंह कोतवाली मुगलसराय चन्दौली।
7. हेड कांस्टेबल मुरारी कुमार कोतवाली मुगलसराय चन्दौली।
8. हेड कांस्टेबल बनवारी लाल सरोज कोतवाली मुगलसराय चन्दौली।
9. कांस्टेबल सुनील गुप्ता कोतवाली मुगलसराय चन्दौली।
10. हे0का0 संतोष यादव कोतवाली मुगलसराय चन्दौली।
11. हे0का0 योगेश प्रताप कोतवाली मुगलसराय चन्दौली।